(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 190 **नई दिल्ली** , 08 नवम्बर, 2008

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, दक्षता संबंधित प्रशुल्क योजना (ईएलटीएस) की समीक्षा के लिए मुरूगांव पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/8/2008–एमओपीटी

मुरूगांव पत्तन न्यास	———	आवेदक

आदेश

(सितम्बर, 2008 के 30वें दिन पारित)

यह मामला दक्षता संबंधित प्रशुल्क योजना (ईएलटीएस) की समीक्षा के लिए मुरूगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. एमओपीटी पर पोत संबंधित प्रभारों में दक्षता संबंधित प्रशुल्क योजना पहली बार आदेश दिनांक 24 नवम्बर, 1998 द्वारा शुरू की गई थी। तत्पश्चात, दक्षता संबंधित प्रशुल्क (ईएलटी) योजना आदेश दिनांक 31 अगस्त, 2000 द्वारा संशोधित की गई थी।

2.2. ईएलटी योजना की समीक्षा के लिए वर्ष 2000 में पत्तन द्वारा इन आधारों पर अभ्यावेदन दाखिल किया था कि स्टेकयार्ड में कार्गो की कमी के कारण पत्तन को प्रोत्साहन का नुकसान होता है, जिसे इस प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2001 द्वारा खारिज़ कर दिया था। यह देखा गया था कि एमओपीटी द्वारा प्रतिवेदित प्रोत्साहन का वित्तीय नुकसान कल्पित था। पोतवणिकों द्वारा कार्गो संग्रहण में विलंब पत्तन द्वारा प्रचालनात्मक रूप से इस प्रकार सामना किया जा सकता है कि पत्तन में केवल ऐसे पोतों को प्रवेश की अनुमति दी जाए जिनके पास स्टेकयार्ड में लदाई के लिए पर्याप्त कार्गो हो। तदनुसार, पत्तन ने व्यापार को अधिसूचित करते हुए 24 दिसम्बर, 2002 को एक परिपत्र जारी किया था कि ईएलटी योजना के प्रयोजन के लिए घुमाव समय पर्याप्त कार्गो अर्थात स्टेकयार्ड में पार्सल आकार का 90 प्रतिशत की उपलब्धता के समय से गिना जाएगा। उपयोक्ताओं ने इस खंड पर आपत्ति उठाई थी।

2.3. इस मामले में हुई संयुक्त सुनवाई में, पत्तन यथास्थिति बनाए रखने के लिए सहमत था। अतः इस प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 22 जून, 2004 द्वारा पत्तन को निदेश दिया था कि वर्ष 2002 के इसके दरमान में यथा निर्धारित योजना प्रचालन में जारी रहेगा। उक्त आदेश में, इस प्राधिकरण ने निर्णय दिया था कि पत्तन केवल ऐसे पोतों को अनुमति दे सकता है जिनका स्टेकयार्ड में पार्सल आकार का 90 प्रतिशत हो, वास्तविक निष्पादन को प्रभावी करने वाली ऐसी शर्त लागू करते समय, तदनुरूपी तलचिह्न स्तर परिकलित करते समय तदनुरूपी बदलाव भी किए जाने चाहिएं।

2.4. तत्पश्चात, पत्तन ने पोत के घुमाव समय के परिकलन के लिए लगभग 90 प्रतिशत कार्गो संचय संबंधी स्थिति विनिर्दिष्ट करने के लिए अक्तूबर, 2004 में ईएलटी योजना के संशोधन के लिए सहमत प्रस्ताव दाखिल किया था। चूंकि यह प्रस्ताव संबद्ध उपयोक्ताओं से सहमति पर आधारित था, इसलिए इस प्राधिकरण ने प्रचालन वर्ष 2004–05 के लिए 1 अक्तूबर, 2004 से प्रस्तावित शर्त लागू करने के लिए तदर्थ अनुमोदन प्रदान किया था बशर्ते कि यही यार्ड स्टिक पूर्व वास्तविक आंकड़ों के संदर्भ में कट–ऑफ प्रतिमानक निर्धारित करने के लिए लागू की जाए।

प्रचालन वर्ष 2004–05 के लिए प्रदान किया गया तदर्थ अनुमोदन पत्तन के अनुरोध और सभी उपयोक्ताओं की सहमति पर अनुवर्ती दो वर्षों 2005–06 और 2006–07 के लिए विस्तारित किया गया था।

2.5. पहले प्रदान किया गया अनुमोदन आदेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 द्वारा विनियमित किया गया था और घुमाव समय के परिकलन संबंधी उपबंध निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया था:–

> ''ईएलटी योजना के प्रयोजन के लिए घुमाव समय पर्याप्त कार्गो अर्थात स्टेकयार्ड में पार्सल आकार का 90 प्रतिशत और संबद्ध निर्यातक द्वारा घोषित स्टॉक के आधार पर नौभरण के लिए तैयार की उपलब्धता के समय से गिना जाएगा और कार्गो प्रचालन के पूरा होने पर बर्थ से प्रस्थान के समय बन्द होगा।''

पत्तन को शर्त के लागू किए जाने से लेकर वर्ष 2004–05 से योजना को प्रदान किए गए तदर्थ अनुमोदन के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक की अवधि के लिए पर्याप्त कार्गो के संचलन की शर्त लागू करते हुए अधिक बिल राशि वापस करने की सलाह दी गई थी।

3.1. वर्तमान प्रस्ताव दिनांक 6 फरवरी, 2008 में मुरूगांव पत्तन न्यास ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि ईएलटी की कट–ऑफ सीमा के परिकलन के लिए निर्धारित मौजूदा पैरामीटरों को निम्नलिखित मुख्य कारणों से संशोधित किया जाए:–

(i). पोतों की लदाई की सुविधा के लिए एमओएचपी में दो जलयान लोडर हैं जिनके 28 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दुर्भाग्यवश शिपलोडर–II 1 जुलाई 2007 को नष्ट हो गया जिसके कारण एमओएचपी की आधी प्रहस्तन क्षमता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप, अक्तूबर 2007 से एमओएचपी पर कार्गो की दैनिक लदाई दर में कमी आई है जिसके फलस्वरूप पोतों के विराम समय में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, बर्थ किराया प्रभार मौजूदा ईएलटी योजना के अनुसार एमओएचपी पर लादे गए पोतों पर सामान्य बर्थ किराया प्रभारों के 60 प्रतिशत पर प्रभार्य हैं। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूपए में बढ़ोतरी के कारण, पोत संबंधित प्रभारों में काफी कमी आई है। अतः ईएलटी योजना में निर्धारित कट–ऑफ सीमा के पैरामीटरों की समीक्षा की जरूरत महसूस की गई है।

(ii). डिजाइन इंजीनियर मै0 सेंडविक इंडिया प्रा0 लिमिटेड ने सम्पूर्ण नौवहन उपस्कर के बदले जाने तक 70 प्रतिशत की कम क्षमता पर संयंत्र को चलाए जाने की अनुशंसा की है। 11 जनवरी, 2008 को शिपलोडर–II के शुरू होने के बाद भी, एमओएचपी पर अनुमानित औसत लदाई संस्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत होगा और उसके मद्देनज़र पांच वर्षों की औसत पर आधारित पैरामीटरों को संशोधित किए जाने की जरूरत है।

(iii). इस संबंध में, एमओएचपी की प्रहस्तन क्षमता में कमी पर विचार करते हुए मौजूदा ईएलटी योजना पर चर्चा और समीक्षा के लिए पत्तन द्वारा 24 जनवरी, 2008 को गोवा खनिज अयस्क निर्यातक असोसिएशन, मुरूगांव शिप एजेंट्स असोसिएशन (एमएसएए) और इंडियन नेशनल शिपऑनर्स असोसिएशन के साथ एक बैठक की गई थी। इसने 24 जनवरी, 2008 को हुई उक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रति भेजी है।

(iv). उक्त बैठक में, एमओएचपी पर प्रहस्तित जलयान के लेखों पर डाऊनटाइम के ब्योरे उपयोक्ताओं की जानकारी में लाए गए थे। यह सुझाव दिया गया था कि मौजूदा योजना से दूर रहा जाए अथवा एमओएचपी की 70 प्रतिशत की कम क्षमता पर ईएलटी योजना की कट–ऑफ सीमा के पैरामीटरों को संशोधित किया जाए।

(v). बैठक के दौरान, गोवा खनिज अयस्क निर्यातक असोसिएशन (जीएमओईए) का कहना था कि यह योजना उपयोक्ताओं के लिए अच्छी है साथ ही एमओपीटी लागत जमा प्रशुल्क मॉडल के अधीन उपयोक्ताओं के लिए निष्पादन के मानकों पर रक्षात्मक रूप में कार्य करता है। जीएमओईए ईएलटी योजना को वापस लिए जाने के पत्तन के प्रस्ताव से सहमत नहीं था।

एमएसएए मौजूदा स्थिति के अंतर्गत ईएलटी योजना के पैरामीटरों को संशोधित किए जाने के लिए सहमत है क्योंकि संयंत्र को कम प्रहस्तन क्षमता पर प्रहस्तित किया जाना है जैसाकि विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी गई है ।

(vi). जब यह योजना शुरू की गई थी, एमओएचपी पर तैनात उपस्कर अपने जीवनकाल के पूरा होने के लगभग समीप था। जब टीएएमपी ने यह योजना अनुमोदित की थी उस समय भी एमओएचपी संयंत्र को बदले जाने पर कोई चर्चा नहीं की गई थी। सीमाओं वाले किसी पुराने संयंत्र से हर समय उसके उच्च पर निष्पादन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अतः जीएमओईए का दावा कि योजना की समीक्षा नहीं की जा सकती, तर्क को स्पष्ट करता है।

3.2. उपर्युक्त के मद्देनज़र, एमओपीटी ने निम्नलिखित प्रस्तावित किया हैः–

(i). एमओएचपी की 70 प्रतिशत प्रहस्तन क्षमता पर विचार करते हुए ईएलटी योजना की कट–ऑफ सीमाओं के पैरामीटरों को संशोधित किया जाए, और प्रस्तावित संशोधन 11 जनवरी, 2008 से लागू किया जाए।

(ii). 1 अक्तूबर, 2007 से 10 जनवरी, 2008 तक की अवधि के दौरान, एमओएचपी पर केवल एक जलयान लोडर कार्य कर रहा था। इसलिए, उक्त अवधि के दौरान ईएलटी योजना बिल्कुल लागू नहीं की जाए।

(iii). ईएलटी योजना के प्रचालन के लिए औसत बर्थिंग–पूर्व विराम समय पत्तन के लेखा पर प्रतीक्षा समय पर और टीएएमपी के आदेश सं. टीएएमपी/37/2002–एमओपीटी दिनांक 27 अगस्त, 2002 के आधार पर पत्तन के लेखों से इतर भी विचार करते हुए परिकलित किया गया था। यह प्रचालन वर्ष 2003–04 तक लागू किया गया था। पर्याप्त कार्गो के लगभग 90 प्रतिशत संचयन की शर्त लागू करने के पश्चात, औसत बर्थिंग–पूर्व विराम समय केवल पत्तन के लेखों पर विराम समय पर विचार करते हुए परिकलित किया गया था और तदनुसार ईएलटी योजना अनुवर्ती प्रचालन वर्षों के लिए लागू की गई थी।

एमओपीटी ने निवेदन किया है कि चूंकि टीएएमपी ने 90 प्रतिशत पर्याप्त कार्गो संचयन की शर्त लागू करने को मंजूर नहीं किया है और पत्तन को प्रचालन वर्ष 2004–05 से पूर्व के अवधि के लिए अधिक बिल राशि वापस करने की सलाह दी है, इसलिए प्रचालन वर्ष 2002–03 और 2003–04 के पत्तन के लेखे से इतर विराम समय पर विचार

करते हुए औसत बर्थिंग–पूर्व विराम समय को संशोधित किया जाना अपेक्षित है क्योंकि इन वर्षों के लिए ईएलटी योजना पत्तन के लेखा से इतर समय के अलावा प्रचालित की गई थी।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनज़र, एमओपीटी ने प्रचालन वर्ष 2002–03 और 2003–04 के पत्तन के लेखों से इतर बर्थिंग–पूर्व विराम समय पर विचार करते हुए प्रचालन वर्ष 2004–05 से 2007–08 के लिए औसत बर्थिंग–पूर्व विराम समय संशोधित करने का प्रस्ताव किया था। यह प्रचालन वर्ष 2004–05 से 2007–08 के लिए क्रमशः 4.14 दिन, 2.91 दिन, 2.31 दिन और 2.03 दिन होते हैं।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एमओपीटी का प्रस्ताव संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां एमओपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी। एमओपीटी ने उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियाँ भेजी थीं।

5.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 14 जुलाई, 2008 को एमओपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, एमओपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता असोसिएशनों ने अपने निवेदन रखे थे।

5.2. संयुक्त सुनवाई में, एमओपीटी ने अपने प्रस्ताव का पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया था। एमओपीटी ने अपने पूर्ववर्ती निवेदनों को दोहराने के अलावा उल्लेख किया था कि पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर निर्धारित कट–ऑफ सीमा अर्जित करना संभव नहीं होगा और सभी मामलों में इसके छूट रूप में काफी राशि प्रदान करनी होगी। चूंकि कम की गई क्षमता पर प्रचालन किया जाना अपेक्षित है, इसलिए ईएलटी योजना के साथ बने रहना एकतरफा होगा और इससे पत्तन को राजस्व हानि होगी। अतः इसने एमओएचपी की प्रहस्तन क्षमता के 70 प्रतिशत पर विचार करते हुए कट–ऑफ सीमाओं के संशोधन को 11 जनवरी, 2008 से अनुमोदित करने के अपने अनुरोध को दोहराया है।

5.3. जीएमओईए ने भी पत्तन प्रस्ताव पर अपने तर्कों को स्पष्ट करते हुए पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया था। जीएमओईए द्वारा कही गई मुख्य बातें नीचे दी गई हैः–

(i). इसे प्रचालन वर्ष 2004–05 से 2006–07 के लिए औसत बर्थिंग–पूर्व विराम समय के संशोधन के लिए कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते पोतवणिकों के लेखा पर बर्थिंग–पूर्व विराम समय शामिल नहीं किया जाए।

(ii). कट–ऑफ सीमा का संशोधन निम्नलिखित कारणों से सही नहीं हैः–

(क). जैसाकि सेंडविक एशिया की रिपोर्ट में देखा गया है, खर्च किए गए उपयोक्ताओं द्वारा वहन किए गए भारी व्यय के बावजूद इस संयंत्र को ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं रखा गया है। वास्तव में, सेंडविक एशिया ने ''मानव–निर्मित'' रूप में कम किए जाने को परिभाषित किया है।

(ख). वर्ष 2007–08 की पिछली तिमाही के दौरान संयंत्र का वास्तविक निष्पादन वर्ष 2006–07 के समान स्तरों पर अधिक अथवा कम रहा है। निष्पादन में सुधार हुआ है जैसाकि अप्रैल के आंकड़ों से देखा जा सकता है।

		आँकड़े लाखों में
महीनें	**2006-07**	**2007-08**
जनवरी	11.42*	11.24
फरवरी	12.97	12.61@
मार्च	15.06	15.45
	39.45	**39.30**
अप्रैल	13.17	13.72

*: एक जलयान लोडर के 21 दिन प्रचालन शोधित करते हुए
@: 3 दिनों की हड़ताल अवधि को नज़रअंदाज करते हुए कार्य के 29 दिन शोधित करते हुए

चूंकि जलयान लोडरों का निष्पादन कम नहीं हुआ है, इसलिए ईएलटी योजना को संशोधित करने के एमओपीटी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

(ग). इन वर्षों में बढ़ी दक्षता से एमओपीटी को उच्चतर दक्षता आधारित अर्जन हुए हैं। इसलिए, उपयोक्ताओं को एमओपीटी की असफलताओं के परिणामों को वहन करने के लिए नहीं कहा जा सकता।

(iii). ईएलटी योजना को 1 अक्तूबर, 2007 से 10 जनवरी, 2008 तक स्थगित रखने का अनुरोध स्वीकार्य है।

6.1. संयुक्त सुनवाई में जीएमओईए ने निवेदन किया था कि पत्तन ने टीएएमपी द्वारा दिसम्बर, 2006 के अपने आदेश द्वारा यथा आदेशित वापसियां भी नहीं की हैं। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि वापसियों पर कार्यवाही की जा रही है और एक माह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। पत्तन को पहले किए गए अधिक बिल भुगतानों की वापसी वर्ष 2006 के आदेश के अनुसार 30 दिनों के भीतर करने और अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया गया था।

6.2. संयुक्त सुनवाई में यथा निदेशित, एमओपीटी ने उपयोक्ताओं को पत्तन द्वारा प्रेषित अधिक बिल भुगतान राशि की वापसी की अनुपालन रिपोर्ट भेजी है।

7. एमओपीटी ने अपने प्रस्तुतिकरण में जीएमओईए द्वारा कही गई बातों के संदर्भ में स्पष्टीकरण भेजे हैं जिन्हें नीचे सारबद्ध किया गया हैः–

(i). जीएमओईए ने बताया है कि वर्ष 2007–08 की अंतिम तिमाही के दौरान संयंत्र का वास्तविक निष्पादन वर्ष 2006–07 के समान स्तरों पर अधिक अथवा कम रहा है। जीएमओईए द्वारा की गई टिप्पणी, जहां तक उल्लिखित अवधि के दौरान एमओएचपी के निष्पादन की बात है, यह सही है।

इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि ईएलटी योजना के अधीन कट–ऑफ सीमा प्रत्येक पोत के बर्थ दिवस दर के आधार पर परिगणित की गई है न कि एक माह में कुल निष्पादन के आधार पर। निवल कार्य पर उच्चतर लदाई दर के साथ बेहतर बर्थ दिवस दर अर्जित की जा सकती है।

(ii). (क). 70 प्रतिशत की कम की गई क्षमता पर संयंत्र का प्रचालन करने का प्रभाव दर्शाते हुए एक तालिका दोनों वर्षों में अर्जित लदाई दरों से तुलना करते हुए भेजी गई है।

महीना	वर्ष	लदी हुई मात्रा (टनों में)	निवल कार्य समय	लदाई दर (टन प्रति घंटा)
जनवरी (12वीं से)	2008	900795	425 घंटे 15 मिनट	2118
	2007	1074065	389 घंटे 15 मिनट	2759
फरवरी	2008	1143173	563 घंटे 15 मिनट	2029
	2007	1296998	530 घंटे 10 मिनट	2446
मार्च	2008	1544791	739 घंटे 15 मिनट	2089
	2007	1506042	624 घंटे 40 मिनट	2411
अप्रैल	2008	1372112	649 घंटे 40 मिनट	2112
	2007	1317073	519 घंटे 20 मिनट	2536
मई	2008	1382732	689 घंटे 30 मिनट	2005
	2007	1555723	632 घंटे 30 मिनट	2460

(ख). तालिका से, यह देखा जा सकता है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 2008 के महीनों में निष्पादन पिछले वर्ष के समान स्तरों पर अधिक अथवा कम है। अक्तूबर 2007, नवम्बर 2007, दिसम्बर 2007 और जनवरी 2008 तक के महीनों के दौरान थ्रुपुट नुकसान को पूरा करने के लिए निरोधक अनुरक्षण अनुसूचियों को छोड़ते हुए भी यह उपस्कर उपयोगिता को बढ़ाकर अर्जित किया जा सकता है।

(iii). उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनज़र, बर्थ दिवस दर में 70 प्रतिशत कटौती के लिए अनुरोध और बर्थिंग–पूर्व विराम के लिए ऊर्ध्वमुखी संशोधन उचित है।

(iv). सेंडविक एशिया की रिपोर्ट पर जीएमओईए की टिप्पणियों के संबंध में कि उपस्कर का अधोन्नयन ठीक प्रकार से रखरखाव नहीं किए जाने के कारण है, यह स्पष्ट किया जाता है कि जीएमओईए/सेंडविक की टिप्पणियों को संयंत्र के जीवनकाल पर विचार करते हुए देखे जाने की जरूरत है। यदि ठीक से रखरखाव नहीं किया गया होता तो इस प्रकार के संयंत्र को सामान्य, 15 से 20 वर्षों के उपयोगी आर्थिक जीवनकाल की तुलना में 29 वर्षों की लम्बी अवधि तक प्रचलित करना संभव नहीं होता।

(v). उपस्कर को बदले जाने के संबंध में, इसने अपने पूर्ववर्ती निवेदनों को दोहराया है और उल्लेख किया है कि उच्चतर क्षमता के 3 सं. स्टेकरों के लिए आदेश पहले ही दिया जा चुका है और इन उपस्कर को वर्ष 2009 और 2010 में शटडाऊन के दौरान संस्थापित किया जाना है। 2 सं. रिक्लेमर्स और 2 सं. शिपलोडर्स बदले नहीं जा सकते क्योंकि निविदाओं को तीन बार बन्द करना पड़ा था। इसको बदले जाने के लिए कार्रवाई एक बार दोबारा शुरू की गई है।

8. इस मामले में विचार–विमर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

9. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:–

(i). इस प्राधिकरण द्वारा अगस्त, 2000 में संशोधित दक्षता संबंधित प्रशुल्क योजना इस योजना को शासित करने वाली शर्तें निर्धारित करती है। यह ईएलटी योजना वर्ष के केवल अच्छे समय अर्थात 1 अक्तूबर से 31 मई के दौरान मुरूगांव के पत्तन पर प्रचालनात्मक है।

(ii). मौजूदा ईएलटी योजना की समीक्षा के लिए एमओपीटी का मौजूदा प्रस्ताव अभियंत्रीकृत अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (एमओएचपी) में तैनात एक शिपलोडर के खराब होने के कारण प्रकट हुआ है। एमओपीटी का प्रस्ताव निम्नलिखित है:–

(क). ईएलटी योजना 1 अक्तूबर 2007 से 10 जनवरी 2008 अवधि के लिए जब एमओएचपी में एक शिप लोडर प्रचालन में नहीं था, स्थगित की जाए।

(ख). एमओएचपी की प्रहस्तन क्षमता को कम करके 70 प्रतिशत करते हुए 11 जनवरी 2008 से ईएलटी योजना की कट–ऑफ सीमाओं के लिए निर्धारित पैरामीटरों को संशोधित किया जाए।

(ग). पर्याप्त कार्गो के संचय संबंधी शर्त इस प्राधिकरण द्वारा 1 अक्तूबर 2004 से अनुमोदित की गई थी जबकि पत्तन ने दिसम्बर 2002 में जारी किए गए अपने परिपत्र के आधार पर वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए कट–ऑफ प्रतिमानकों पर पहुंचने के लिए इस कारक पर विचार किया था। इस स्थिति के मद्देनज़र, प्रचालन वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए औसत बर्थिंग–पूर्व विराम समय को संशोधित किए जाने की जरूरत है। परिणामस्वरूप, प्रचालन वर्ष 2004–05 से 2008–09 के लिए बर्थिंग–पूर्व विराम समय जोकि पूर्ववर्ती पांच वर्षों के आंकड़ों पर विचार करता है, को भी संशोधित किए जाने की जरूरत है।

(iii). उपर्युक्त (ii). (क). के संदर्भ में:–

एमओपीटी ने बताया है कि अभियंत्रीकृत अयस्क प्रहस्तन संयंत्र पर तैनात दो शिप लोडरों में से एक शिप लोडर 1 जुलाई, 2007 को नष्ट हो गया था। इस जलयान लोडर की मरम्मत की गई थी और 11 जनवरी 2008 से कार्य करने योग्य बनाया गया था। परिणामस्वरूप, अभियंत्रीकृत अयस्क प्रहस्तन संयंत्र 1 अक्तूबर 2007 से 10 जनवरी 2008 अवधि के लिए आधी प्रहस्तन क्षमता पर प्रचलित किया गया था। चूंकि अभियंत्रीकृत प्रचालन प्रणाली उपस्कर के पूरे बेड़े के साथ प्रचालित नहीं किए जा सके थे, इसलिए इसने अनुरोध किया है कि ईएलटी योजना उक्त अवधि के लिए लागू नहीं की जानी चाहिए। गोवा खनिज अयस्क निर्यातक असोसिएशन सहित अधिकांश उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों ने प्रस्ताव के इस हिस्से पर सहमति व्यक्त की है। अतः 1 अक्तूबर 2007 से 10 जनवरी 2008 अवधि के लिए ईएलटी योजना के कार्यान्वयन को स्थगित करने का पत्तन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

(iv). उपर्युक्त (ii). (ख). के संदर्भ में:–

(क). शिप लोडर–II पत्तन द्वारा भारी मरम्मत करने के बाद 11 जनवरी 2008 से पुनः शुरू किया बताया गया था।

पत्तन के अनुसार, भविष्य में मशीनरी/उपस्कर को ज्यादा खराब होने से बचाने के लिए उपस्कर का सम्पूर्ण बेड़ा बदले जाने तक 70 प्रतिशत की कम की गई दर पर एमओएचपी के प्रचालन की सलाह दी गई है। पत्तन का मत है कि वह पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित कट–ऑफ सीमा से नीचे दक्षता अर्जित करने की स्थिति में नहीं होगा। परिणामस्वरूप, मौजूदा ईएलटी योजना के अधीन, एमओएचपी पर लादे गए पोतों पर बर्थ किराये में रियायत प्रदान की जाती है। परिणामस्वरूप, ऐसे पोतों से बर्थ किराये का 60 प्रतिशत वसूल किया जाना है।

यह स्वीकार करना होगा कि जब तट आधारित संस्थापनों की उत्पादकता प्रभावित होती है तो बर्थ पर पोत की विराम अवधि बढ़ जाती है। इसलिए मौजूदा ईएलटी योजना के अनुसार यदि बर्थ किराये की इकाई दर स्वीकार्य रियायत के कारण कम भी हो सकती है, कुल बर्थ किराया पूरी तरह से बर्थ पर पोत के विराम की लम्बी अवधि के लिए देय है।

अनुच्छेद 7 (ii) में यथा दर्ज एमओपीटी द्वारा प्रतिवेदित फरवरी, 2008 से अप्रैल, 2008 अवधि के लिए एमओएचपी का निष्पादन तदनुरूपी अवधि की अपेक्षा कम होगा। तथापि, निवल कार्य समय जोकि बर्थ पर पोतों का विराम दर्शाता है, पिछले वर्ष से अधिक है।

(ख). ईएलटी योजना के संशोधन के लिए एमओपीटी द्वारा स्पष्ट किया गया दूसरा कारण डॉलर के विपरीत रूपए को प्रोत्साहन के कारण पोत संबंधित प्रभारों से आय में कमी है। डॉलर के विपरीत रूपए को प्रोत्साहित ईएलटी योजना के संशोधन के लिए प्रासंगिक कारण नहीं है।

(ग). गोवा खनिज अयस्क निर्यातक असोसिएशन (जीएमओईए) ने टिप्पणी की है कि जलयान लोडर का नष्ट होना अचानक विकास नहीं है परंतु पत्तन द्वारा अपर्याप्त रखरखाव और पूंजी परिसंपत्तियों को बदले जाने पर पत्तन की गलत नीतियों का संकेत है।

पत्तन ने बताया है कि एमओएचपी के कुछ घटक जैसे बार्ज अन–लोडर्स चरणबद्ध तरीके से बदले गए हैं और उच्च क्षमता के स्टेकरों को वर्ष 2010 तक बदले जाने की उम्मीद है। शिपलोडरों और रिक्लेमरों को बदले जाने में विलंब का कारण बोलीदाताओं द्वारा निबंधन और शर्तें स्वीकार नहीं किए जाने के कारण निविदा संबंधी मुद्दे हैं।

शिप लोडर का खराब होना और एमओएचपी की क्षमता को कम करके 70 प्रतिशत करने की जरूरत संयंत्र के पुराना होने के कारण रहे हैं। पूर्वकाल में किसी भी समय जब ईएलटी शुरू किया गया था अथवा संशोधित किया गया था अथवा वर्ष 2006 में प्रशुल्क संशोधनों के अवसर पर और इसे पहले भी पत्तन को एमओएचपी में उपस्कर संबंधी स्थिति इसके उपयोगी जीवनकाल के नजदीक सामने लानी चाहिए थी।

पत्तन से संभावित दक्षता में न केवल सुविधा विशेष का निष्पादन अपितु सुविधाओं की योजना और रखरखाव में और उनको समयानुसार बदले जाने में प्रबंधकीय दक्षता भी शामिल है। शिपलोडर–II के भारी खराब हुए एक वर्ष से ज्यादा हो गया। तथापि, उपस्कर को बदले जाने को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता जबकि एमओपीटी ने संबद्ध संयंत्र के उपयोगी जीवनकाल के समाप्त होने के बारे में स्वयं स्वीकार किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि पत्तन द्वारा उपयुक्त समय पर उपस्कर को बदले जाने में विलंबों के परिणामों को उपयोक्ता क्यों वहन करें।

(घ). इसके अलावा, 70 प्रतिशत की कम की गई दर पर पहुंचने का आधार पत्तन ने किसी गणना के साथ प्रमाणित नहीं किया है। पत्तन ने इस संबंध में डिजाइन इंजीनियर के पृथक संप्रेषण का मात्र उल्लेख किया है जोकि इसकी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है।

(ड.). यह उल्लेखनीय है कि एमओपीटी का मूल बर्थ किराया अनुमानित राजस्व (बिना ईएलटी आय) पर आधारित है और, इसलिए, लागत विश्लेषण राजसव के कुछ जीआरटी घंटों पर विचार करता है। यदि ईएलटी योजना को क्षमता को कम करके संशोधित किया जाता है जैसाकि एमओपीटी द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो दरमान संशोधित करते समय वित्तीय मॉडल में सुविचारित बर्थ किराये से आय की समीक्षा और कम की गई उत्पादकता और परिणामस्वरूप बर्थ पर पोत का बढ़ा हुआ विराम और, इसलिए, उच्चतर राजस्व के आधार पर संशोधित करनी होगी। तथापि, पत्तन ने इस समायोजन का सुझाव नहीं दिया है जोकि जरूरी हो जाएगा यदि दक्षता पैरामीटर पुनर्निर्धारित किए जाते हैं।

(च). ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के मद्देनज़र, यह प्राधिकरण ईएलटी योजना के दक्षता पैरामीटरों को पुनर्निर्धारित करने के लिए प्रवृत्त नहीं है।

(v). उपर्युक्त (ii). (ग). के संदर्भ में:–

(क). ईएलटी योजना के प्रचालन के लिए औसत बर्थिंग–पूर्व विराम समय पत्तन के लेखा पर पोत की प्रतीक्षा समय पर और पर्याप्त कार्गो के संचयन की शर्त लागू करने से पहले पत्तन के लेखों से इतर पर विचार करते हुए परिकलित किया बताया गया था।

(ख). तत्पश्चात, पोतवणिकों द्वारा कार्गो के संचयन में विलंब की प्रचालनात्मक समस्या से निपटने के लिए पत्तन ने दिसम्बर, 2002 में व्यापार को पत्तन द्वारा जारी किए गए परिपत्र के आधार पर कार्गो के 90 प्रतिशत संचयन के बारे में शर्त शामिल की थी। ऐसा करते समय, औसत बर्थिंग–पूर्व विराम समय केवल पत्तन के लेखों पर विराम समय पर विचार करते हुए परिकलित किया बताया गया था।

इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि एमओपीटी द्वारा कही गई बात कि इस प्राधिकरण ने दिसम्बर 2002 से पर्याप्त कार्गो के संचयन की शर्त अनुमोदित नहीं की थी, हमारे आदेशों की सही व्याख्या नहीं है। वास्तव में, इस प्राधिकरण ने 20 सितम्बर, 2001 के अपने आदेश में पत्तन को पोतवणिकों द्वारा कार्गो के संचयन में विलंब के प्रचालनात्मक मुद्दे से निपटने की अनुमति प्रदान की थी।

परंतु यह विदित था कि पत्तन ने वास्तविक निष्पादन पर कार्गो के 90 प्रतिशत संचयन के बारे में दिसम्बर, 2002 से शर्त लागू करते समय, तलचिह्न स्तर के परिकलन में तदनुरूपी समायोजन नहीं किए थे। उक्त शर्त को लागू किए जाने पर उपयोक्ताओं से आपत्ति के मद्देनज़र और एमओपीटी के अनुरोध पर भी, इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/63/2003–एमओपीटी दिनांक 22 जून, 2004 द्वारा यथास्थिति बनाए रखने की अपेक्षा की थी और पत्तन को ईएलटी योजना की शर्तों को लागू रखने का निदेश दिया था जैसाकि अगस्त, 2002 में अनुमोदित इसके दरमान में निर्धारित किया गया था।

तत्पश्चात, इस प्राधिकरण ने 29 दिसम्बर, 2006 के अपने आदेश में पर्याप्त कार्गो अर्थात प्रचालन वर्ष 1 अक्तूबर, 2004 से 90 प्रतिशत के संचयन की शर्त अनुमोदित की थी।

(ग). इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लगभग 90 प्रतिशत कार्गो संचयन संबंधी शर्त 1 अक्तूबर, 2004 से पहले की अवधि के लिए लागू नहीं थी। जबकि पत्तन ने दिसम्बर, 2002 में व्यापार को जारी किए गए परिपत्र के आधार पर बर्थिंग–पूर्व विराम समय के परिकलन में इस कारक की गणना की थी। इसने बताया था कि वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए बर्थिंग–पूर्व विराम समय के परिकलन में पत्तन के लेखा से इतर समय छोड़ दिया गया है।

इसलिए अक्तूबर 2004 से पहले की अवधि अर्थात दिसम्बर, 2002 से 1 अक्तूबर 2004 तक के लिए, पत्तन ने बर्थिंग–पूर्व विराम के परिकलन को संशोधित करने का अनुरोध किया है। परिणामस्वरूप, प्रचालन वर्ष 2004–05 से 2008–09 के लिए औसत बर्थिंग–पूर्व विराम समय जोकि वर्ष 2002–03 और 2003–04 से संबंधित पूर्व आंकड़ों पर विचार करेगा, को भी संशोधित किए जाने की जरूरत है।

जीएमओईए पत्तन द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है बशर्ते पोतवणिकों के लेखा पर बर्थिंग–पूर्व विराम परिकलन में सुविचारित नहीं किया जाए। चूंकि कार्गो के 90 प्रतिशत संचयन की शर्त इस प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर, 2002 से प्रचालन वर्ष 2004–05 अवधि के लिए अनुमोदित नहीं की गई थी, इसलिए तलचिह्न स्तर जोकि इस कारक को लागू करने के पश्चात परिकलित किया बताया गया है, को इस अवधि के लिए वापसी–योग्य राशि निर्धारित करने के लिए अक्तूबर 2004 से पूर्व की अवधि के लिए संशोधित किए जाने की जरूरत है। इसलिए, पत्तन को वापसी की गणना के लिए तत्समय लागू ईएलटी योजना के आधार पर, दिसम्बर 2002 से 1 अक्तूबर 2004 तक की अवधि के लिए बर्थिंग–पूर्व विराम समय की गणना में जरूरी संशोधन करने की अनुमति दी गई है। तथापि, यह संशोधन पांच वर्षों के आंकड़ों की गणना करते हुए तलचिह्न स्तर पर पहुंचने के लिए अनुवर्ती वर्षों के लिए लागू नहीं होगा।

90 प्रतिशत कार्गो संचयन की शर्त पर आधारित वर्ष 2002–03 और 2003–04 से संबंधित आंकड़े पत्तन के पास उपलब्ध हैं जिन्हें प्रचालन वर्ष 2004–05 से 2007–08 से बर्थिंग–पूर्व विराम समय पर पहुंचने के लिए लागू किए जाने चाहिएं।
जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, तलचिह्न स्तर में 90 प्रतिशत कार्गो संचयन की शर्त लागू करते हुए समय, वास्तविकताओं के संदर्भ में कट–ऑफ समय निर्धारित करते समय यही यार्डस्टिक बनाए रखी जानी चाहिए।

(vi). जीएमओईए से एक शिकायत मिली थी कि पत्तन ने दिसम्बर, 2006 को पारित आदेश के अनुसार प्रचालन वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए पत्तन द्वारा वसूली गई अधिक बिल राशि के वापसी दावों का निपटान नहीं किया है। पत्तन ने पुष्टि की है कि अधिक बिल राशि की वापसी सितम्बर, 2008 के प्रथम सप्ताह तक प्रेषित कर दी गई है और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भी भेजी गई है।

10. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण ईएलटी योजना पर एमओपीटी के प्रस्ताव के संदर्भ में, निम्नलिखित निर्णय अनुमोदित करता हैः–

(i). ईएलटी योजना 1 अक्तूबर, 2007 से 10 जनवरी 2008 अवधि के लिए लागू नहीं की जाएगी।

(ii). 11 जनवरी, 2008 से आगे के लिए 70 प्रतिशत प्रहस्तन क्षमता लागू करते हुए ईएलटी योजना की कट–ऑफ सीमाओं के लिए निर्धारित पैरामीटरों में संशोधन के लिए एमओपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है। एमओपीटी को सलाह दी जाती है कि बिना किसी संशोधन के मौजूदा ईएलटी योजना का कार्यान्वयन जारी रखा जाए।

(iii). पत्तन केवल संबद्ध अवधि के लिए वापसी–योग्य राशि के निर्धारण के प्रयोजन के लिए ही तत्समय लागू ईएलटी योजना के अनुसार कारकों पर विचार करते हुए प्रचालन वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए औसत बर्थिंग–पूर्व विराम समय की गणना में जरूरी संशोधन कर सकता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष